



भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)  
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7<sup>वीं</sup> मंज़िल,  
प्लॉट P-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी.  
मानेसर, गुडगाँव, हरियाणा - 122050.  
Email: roc.cpace@mca.gov.in



सत्यमेव जयते

Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Centre for Processing Accelerated  
Corporate Exit (C-PACE)  
IICA Building, 7<sup>th</sup> Floor,  
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,  
Gurgaon, Haryana - 122050.  
Email: roc.cpace@mca.gov.in

### प्रारूप संख्या एसटीके-6

### सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/800

दिनांक: -21.02.2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (7) कम्पनियों का नाम उत्तराखंड राज्य से हटाने के मामले में:

S. NO.	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6760865	U74999UR2015PTC001364	क्रंक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6691606	U74999UR2016PTC007406	स्मार्टस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AA6834376	U74999UR2018PTC008936	एडोनिस्टा फ़ैबकॉम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6569431	U55101UR2018PTC009135	पीकू प्रकृति प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6725958	U74999UR2019PTC009849	एसवीके बायोगीन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6241762	U74999UR2019PTC010249	सिस्ट कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6554821	U65929UR2023PLN015159	अपर्णम म्युचुअल बेनिफिट्स निधि लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।



3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

(हरिहर साहू )

पंजीयक

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

~~HARIHAR~~  
~~A SAHOO~~

Digitally signed by HARIHARA SAHOO  
DN: c=IN, o=OFFICE OF THE REGIONAL  
DIRECTOR (ER), KOLKATA, ou=JOINT  
DIRECTOR,  
2.5.4.20=d3638cfc26582a739e5af907893158  
1203b2d994221d433833d3a732822dcb9e,  
postalCode=700020, st=WEST BENGAL,  
serialNumber=b7121ae2e42ce56330406eb4  
f58443e73d19b2759d047b4b0a57cfcfb388  
405, cn=HARIHARA SAHOO  
Date: 2024.02.21 17:20:47 +05'30'

cbc 07123/11/0478/2324